

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

संख्या डी0 एल0 ए0 नालन्दा -2672/रा० पटना, दिनांक-21-11-23

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव-गोरावाँ परगना-वेसवक, थाना नं०-406 थाना-बिहार, जिला-नालन्दा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् नूरसराय से सिलाव पथ भाया बेगमपुर कि०मी० 0 से 21.85 कि०मी० तक पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव-गोरावाँ, थाना नं०-406 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कभोवेश 3.6225 एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:- खेसरा सं०- 2454, 2455, 2456, 2457, 2459, 2460, 2461, 2491, 2494, 2498, 2499, 2501, 2505, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2520, 2521, 2522, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2545, 2546, 2547, 2548, 2553, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 3489, 3490, 3491, 3493, 4321 एवं 4337 सभी अंश तथा खेसरा सं०-2492, 2493, 2500, 2506, 2507, 2508 एवं 2544 सभी पूर्ण

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर:- खण्ड "क" सीवाना मौजा गोबिन्दपुर थाना नं०-405
खण्ड "ख" सीवाना मौजा नेपुरा थाना नं०-421

पूरब :- खण्ड "क" खेसरा सं० 2457, 2459, 2460, 2521, 2522, 2516, 2515, 2514, 2511, 2509, 2454, 2448, 2449, 2539, 2557 एवं 2558 सभी अंश
खण्ड "ख" खेसरा सं० 3491, 3493, 4320, 4335, 4336 सभी अंश एवं सीवाना मौजा-सिलाव थाना नं०-420


दक्षिण:-खण्ड "क" सीवाना मौजा गोबिन्दपुर थाना नं० 405
खण्ड "ख" सीवाना मौजा सिलाव थाना नं० 420


पश्चिम :- खण्ड "क" खेसरा सं०- 2454, 2455, 2456, 2457, 2459, 2460, 2461, 2520, 2517, 2516, 2515, 2514, 2518, 2505, 2501, 2491, 2543, 2542, 2541, 2540, 2557, 2556, 2560 एवं 2559 सभी अंश
खण्ड "ख" खेसरा सं० 3489, 3490, 3493, 4320, 4321, 4334, 4337, 4338, 4345, 4346, 4347 एवं 4349 सभी अंश।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों को खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, तो लिये जायेंगे।


यह घोषणा अधिनियम 1, 1864 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा-3 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय नालन्दा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।


जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी,
नालन्दा


समाहर्ता,
नालन्दा

बिहार राज्यपाल के आदेश से



सरकार के सचिव

ज्ञापांक 2672/2 डी0 एल0 ए0- नालन्दा, दिनांक 21-11-13

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2. प्रतिलिपि :- उप समाहर्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालन्दा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

3. प्रतिलिपि :-अपर समाहर्ता/समाहर्ता, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के जिला सचिव